भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1399

जिसका उत्तर गुरुवार, 28 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

कानूनी जागरूकता के लिए विशेष अभियान

1399 # श्री नरहरी अमीन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विधि और न्याय की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कोई विशेष अभियान चलाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभियानों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसे अभियानों से अभी तक कुल कितने लोगों ने लाभ प्राप्त किए हैं ; और

(घ) गुजरात में इस प्रकार के कितने अभियान किन-किन स्थानों पर चलाए जा रहे हैं; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने देश के प्रत्येक गांव/शहरी क्षेत्रों तक पहुंच बनाने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के भाग के रुप में 2 अक्तूबर से 14 नवंबर, 2021 तक विधिक जागरुकता और आउटरीच अभियान चलाया जिससे ज्यादा से ज्यादा विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ-साथ निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता के संबंध में जागरुकता फैलाई जा सके ।

उपरोक्त अभियान के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियों में द्वार-द्वार अभियान, विधिक जागरूकता कार्यक्रम, मोबाइल-वैन और विधिक सहायता क्लिनिकों के माध्यम से जागरूकता शामिल है । इन प्रमुख गतिविधियों के अतिरिक्त, विधिक सेवा प्राधिकरणों ने महिलाओं और बच्चों के लिए विनिर्दिष्ट विधिक जागरुकता कार्यक्रम, विशाल विधिक सेवा शिविरों का आयोजन, ऐसे बच्चों के लिए कार्यक्रम जिन्होंने

कोविड के कारण माता-पिता दोनों या उनमें से कोई एक खोया है, जिला और राज्य स्तर पर प्रदर्शनी, विधि विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए मूट कोर्ट प्रतियोगिताओं को आयोजित किया । इस अवधि के दौरान 1623 विधिक सेवाओं के विशाल शिविरों का आयोजन किया गया जिससे 75.64 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए ।

इसके अतिरिक्त, न्याय विभाग ने व्यापक सामाजिक-विधिक मुद्दों को शामिल करते हुए मासिक वेबिनार अभियान चलाया । अक्तूबर, 2021 तक, सीएससी ई-गवर्नेंस और अन्य मंत्रालयों/विभागों और नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) की सहायता से 9 आभासी वेबिनारों का आयोजन किया । घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005, बच्चों का अधिकार, मूल कर्तव्य, गर्भधारण पूर्व और निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिबंध) अधिनियम, 1994 और महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013, भारत में लैंगिक न्याय, कानून का उल्लघंन करने वाले बच्चे और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे और मानव तस्करी जैसे प्रकरणों को अब तक इनमें शामिल किया गया है । ये वेबिनार विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से 2.2 लाख से अधिक प्रतिभागियों तक पहुंच चुके हैं ।

(घ) : गुजरात राज्य में चलाए जा रहे ऐसे अभियानों की स्थान-वार संख्या का रखरखाव नालसा द्वारा नहीं किया जाता है । तथापि, उपरोक्त अभियान के दौरान गुजरात के 17439 गावों का तीन या अधिक बार दौरा किया गया और 44 विधिक सेवा के विशाल शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 73,379 लोग लाभान्वित हुए ।

****